राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– प.172/मुसप्र/स.प्र./नीति निर्णय/2011/1466 दिनांकः– 8-9-11

परिपत्र

यह देखने में आया है कि मण्डल के पंजीकृत आवेदकों/आवंटियों, संस्थाओं व नीलामी की बोलीदाताओं से मण्डल के जारी किये गये मांग पत्र में निर्धारित अवधि समाप्ति के पश्चात प्रायः बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये ही अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा राशि जमा करवा ली जाती है, जोकि पूर्व में जारी किये गये आदेश क्रमांक– प.99/मुसप्र/डी–6/बकाया राशि/ब्याज दर/2010/2203 दिनांक 2.12.2010 एवं परिपत्र क्रमांक–243 दिनांक 23.5.2011 द्वारा निर्धारित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः सभी उप आवासन आयुक्तों एवं आवासीय अभियन्ताओं को सख्त हिदायत दी जाती है कि मांग पत्र में निर्धारित अवधि समाप्ति के पश्चात बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये मण्डल के पंजीकृत आवेदकों/आवंटियों, संस्थाओं व नीलामी की बोलीदाताओं से मांग पत्र की राशि जमा नहीं करवाई जावे। उक्त आदेश की अवहेलना किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, रा0 आ0 मण्डल, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक–मुख्य अभियन्ता/सचिव, रा0 आ0 मण्डल, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक– वित्तीय सलाहकार/ निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, पी. एण्ड एम.रा0आ0म0, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त–वृत–............ रा0आ0म0, ...
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–....................रा0आवम0, ...
8. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक